कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,जिला सुकमा (छ.ग.)

Ph.&Fax No. 07864-284401, Toll Free No. 18002332845, Email ID :- deo.sukma2012@gmail.com

क्रमांक/2559/जि.शि.अ./शिक्षा–2/शिक्षा व्या./ 2019 सुकमा, दिनांक 05/07/2019

//अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु विज्ञापन//

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन ,नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक/एफ 12–7/2014/20–2 अटल नगर रायपुर दिनांक 03.07.2019 के तहत् राज्य अंतर्गत शासकीय शालाओं में अध्यापन हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र के तारतम्य में सुकमा जिले में संचालित शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में अंग्रेजी, गणित,भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के रिक्त पदो पर अध्यापन हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जानी है इस हेतु रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

//रिक्त पदों का विवरण //

क्र.	जिला का नाम	विषयवार रिक्त पदों की संख्या						योग
		अंग्रेजी	गणित	भौतिक	रसायन	जीव विज्ञान	वाणिज्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सुकमा	20	25	10	06	20	09	90

1. **अतिथि शिक्षक व्यवस्था** :– यह व्यवस्था शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा की जायेगी।
2. **शैक्षणिक अर्हता** :– संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि एवं बी.एड.।
3. **अतिथि शिक्षक चयन हेतु वरियता क्रम** :–

3.1 सर्वप्रथम विद्यामितान द्वारा पूर्व में सेवायें दी गई हो तो उन्ही विद्यामितानों की सेवायें अतिथि शिक्षक के रूप में ली जायेगी।

3.2 अतिथि शिक्षक चयन हेतु प्राथमिकता सर्वप्रथम जिला (सुकमा) के आवेदकों को दी जायेगी, जिले में उम्मीदवार उपलब्ध नही मिलने पर दूसरी प्राथमिकता संभाग (बस्तर) को दी जायेगी एवं अंत में संभाग स्तर पर उम्मीदवार न मिलने पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था का क्षेत्र राज्य स्तर होगा।

3.3 विद्यामितान उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्य आवेदकों से प्राप्त आवेदन में स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर चयन किया जायेगा।

3.4 इनमें से किसी भी परिस्थिति में स्नातकोत्तर में समान अंक होने पर अधिक उम्र के आवेदक का चयन किया जायेगा।

3.5 अभ्यर्थी की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 21 वर्ष एवं 45 वर्ष होगी।

4. **मानदेय** :– अतिथि शिक्षक को **18,000/–(अठाराह हजार रू.मात्र)** मासिक । इसका भुगतान शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा किया जायेगा।
5. **उपस्थिति** :– संस्था प्रमुख द्वारा अतिथि शिक्षक की उपस्थिति हेतु पृथक से पंजी संधारित की जायेगी, एवं मानदेय का भुगतान उक्त प्रमाणित पंजी के आधार पर ही होगी। निर्धारित कार्य दिवस में अध्यापन नही करने पर आनुपातिक रूप से मानदेय की कटौती की जायेगी।

क्रमशः 2 पर .....

6. अन्य शर्तें :–

6.1 अतिथि शिक्षक मात्र एक अंतरिम व्यवस्था है, अतः किसी प्रकार का नियमानुसार नियुक्ति / पदस्थापना आदेश जारी नहीं किये जायेंगे, अपितु चयनित होने के उपरांत संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण कराने के औपचारिक निर्देश समिति के अध्यक्ष के द्वारा दिए जायेंगे।

6.2 शाला में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था नियमित शिक्षक के पदभार ग्रहण करने तक प्रभावी होगा।

6.3 अतिथि शिक्षकों की शैक्षिक व्यवस्था कभी भी शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा समाप्त की जा सकेगी।

6.4 सर्वप्रथम शिक्षक विहिन हाई / हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 03 व्याख्याता के रिक्त पद के विरूद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जावेगी, तत्पश्चात् एकल शिक्षकीय हाई / हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 02 व्याख्याता के रिक्तपद के विरूद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जावेगी।

6.5 अतिथि शिक्षकों की अध्यापन के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी सहभागिता अनिवार्य होगी, साथ ही संस्था प्रमुख के निर्देशों का भी पालन करेंगे।

अतः इच्छुक अभ्यर्थी संलग्न निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों सहित पंजीकृत डाक से ''कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सुकमा छ.ग. के पते पर भेज सकते हैं या कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं। पंजीकृत डाक से प्राप्त होने / व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 18.07.2019 को संध्या 05:00 बजे तक जमा कर सकते हैं। उक्त अवधि के पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

5/7

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला सुकमा (छ.ग.)

पृ.क्र. / 2559 A / जि.शि.अ. / शिक्षा–2 / शिक्षा व्या. / 2019 सुकमा, दिनांक 05 / 07 / 2019

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, लोक शिक्षक संचालनालय इन्द्रावती भवन अटल नगर रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड सुकमा / कोण्टा / छिन्दगढ़ को सूचनार्थ।
5. अध्यक्ष, शाला प्रबंधन एवं विकास समिति शा.हाई / हायर सेकेण्डरी स्कूल .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित प्राचार्य शा.हाई / हायर सेकेण्डरी स्कूल ....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (NIC) सुकमा को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला सुकमा (छ.ग.)

अतिथि शिक्षक हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नाम :– .... विषय :– ....

यहां अपना पासफोर्ट साईज फोटो चस्पा

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला – सुकमा छ.ग.

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :– ....
   आवेदक का नाम (अंग्रेजी में) :– ....
2. पिता / पति का नाम :– ....
3. लिंग (पुरूष / महिला) :– ....
4. जाति / वर्ग :– ....
5. जन्मतिथि (अंको में) :– ....
   जन्मतिथि (शब्दों में) :– ....
6. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :– ....
   :– ....
7. स्थायी पता :– ....
8. मोबाइल नम्बर :– ....
9. क्या आवेदक सुकमा जिले का :– ....
   निवासी है (हॉ / नही) :– ....
10. शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता :– ....

क्र.	परीक्षा का नाम	विषय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड / वि. वि. का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत्

11. क्या पूर्व में विद्यामितान के रूप में सेवायें दी गई है (हॉ / नही) :– ....
12. यदि हॉ तो .... से .... तक
13. कार्यरत संस्था का नाम (प्राचार्य का प्रमाण पत्र संलग्न करें) :– ....
14. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :– ....
    :– ....

//घोषणा पत्र//

मैं एतद् द्वारा घोषण करता / करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये समस्त विवरण मेरे विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य एवं पूर्ण है तथा आवेदित पद के लिये मैं निर्धारित योग्यता रखता / रखती हूँ, कोई भी जानकारी असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर उक्त पद के लिये मेरी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक ....

स्थान ....

नाम एवं पता ....